[2020] 7 एस.सी.आर. 283

स्टालिन

बनाम

पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य

(2020 की दांडिक अपील संख्या 577)

09 सितंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी एवं एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

दण्ड संहिता, 1860 – धारा 302, धारा 304 तथा धारा 300 का अपवाद IV – अपीलकर्ता-अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया था – अपीलकर्ता का यह तर्क था कि यह एकल चोट का वाद है, अतः धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी और वाद धारा 304 भाग-II भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा – अभिनिर्धारित : एकल चोट के वाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी, ऐसा कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है – यह प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है – वर्तमान वाद में, अभियोजन साक्षी-3 ने बयान दिया कि जब मृतक ने बाहर से आए दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी, तो अभियुक्त क्रोधित हो गया और मृतक से कहा कि वह बाहरी लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है; इसके पश्चात विवाद प्रारंभ हुआ और उसी झड़प में अभियुक्त ने चाकू निकालकर पीछे से वार किया – धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद IV के अनुसार, यदि अचानक हुए झगड़े में, आवेश की अवस्था में, बिना पूर्वनियोजन के अपराध किया गया हो, तो ऐसा दांडिक मानव वध हत्या नहीं माना जाएगा – वाद के तथ्यों, परिस्थितियों तथा घटना के प्रारंभ के तरीके को देखते हुए, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी – तथापि,

अभियुक्त ने चाकू जैसे हथियार से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किया, जिससे यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ऐसी शारीरिक चोट मृत्यु कारित करने की संभावना रखती थी – अतः वाद धारा 304 भाग-I भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 304 भाग-II भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :1. यह कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि एकल चोट के वाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी। यह प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोट की प्रकृति, शरीर का वह भाग जहाँ चोट पहुंचाई गई, तथा चोट पहुंचाने में प्रयुक्त हथियार – ये सभी इस तथ्य के संकेतक होते हैं कि अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखा था या नहीं। इसे सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला नियम नहीं बनाया जा सकता कि जब भी एकल प्रहार से मृत्यु होती है, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगी। प्रत्येक वाद में तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से, घटना से पूर्व घटित घटनाओं का भी इस प्रश्न पर प्रभाव पड़ेगा कि क्या मृत्यु कारित करने वाला कृत्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था अथवा केवल इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु होने की संभावना है, परंतु मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। परिस्थितियों की समग्रता ही अपराध की प्रकृति का निर्धारण करेगी। [कंडिका 7.2][296-डी-एफ]

2. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में, विशेष रूप से एकल चोट से संबंधित निर्णयों में प्रतिपादित विधि तथा वर्तमान वाद के तथ्यों को लागू करते हुए, यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या वाद धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा अथवा किसी कम गंभीर अपराध के अंतर्गत। अभियोजन साक्षी-3, जो घटना के आरंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी है, ने

बयान दिया कि जब मृतक ने बाहर से आए दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी, तो अभियुक्त क्रोधित हो गया और मृतक से कहा कि वह बाहरी लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है, इसके पश्चात विवाद प्रारंभ हुआ और उसी झड़प में अभियुक्त ने पीछे से चाकू मार दिया। [कंडिका 9][297-इ-एफ]

3.भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV के अनुसार, यदि बिना पूर्वनियोजन के, अचानक हुए झगड़े में, आवेश की अवस्था में, बिना अनुचित लाभ उठाए और बिना क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किए अपराध किया गया हो, तो ऐसा दांडिक मानव वध हत्या नहीं माना जाएगा। वर्तमान वाद में, घटना-स्थल पर बीयर परोसी जा रही थी; बीयर पार्टी में सम्मिलित सभी व्यक्ति आपस में मित्र थे; तथा घटना का प्रारंभ अभियोजन साक्षी-3 द्वारा वर्णित किया गया है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दांडिक मानव वध को धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत हत्या नहीं कहा जा सकता और इसलिए इस वाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी। [कंडिका 10][297-एच; 298-ए-बी]

4. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि अभियुक्त ने चाकू जैसे हथियार से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किया, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ऐसी शारीरिक चोट मृत्यु कारित करने की संभावना रखती थी। अतः यह वाद धारा 304 भाग-I भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 304 भाग-II भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत।[कंडिका 11][297-सी-डी]

महेश बाल्मीकि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2000) 1 एस.सी.सी. 319; *धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य* (2003) 9 एस.सी.सी. 322: [2003] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 754; पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 11 एस.सी.सी. 444 :

[2006] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 633; *सिंगापगु अंजैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* **(2010) 9 एस.सी.सी. 799 : [2010] 7 एस.सी.आर. 703;** *बाविसेट्टी कामेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* **(2008) 15 एस.सी.सी. 725 : [2008] 5 एस.सी.आर. 408;** *जाफेल बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **(2019) 12 एस.सी.सी. 560 — अवलंबित।**

कुन्हैयप्पु बनाम केरल राज्य **(2000) 10 एस.सी.सी. 307;** *मुसुमशा हसनशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2000) 3 एस.सी.सी. 557: [2000] 1 एस.सी.आर. 1155;** *धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य* **(2003) 9 एस.सी.सी. 322 : [2003] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 754;** *पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* **[2006] 11 एस.सी.सी. 444: [2006] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 633;** *अरुण राज बनाम भारत संघ* **(2010) 6 एस.सी.सी. 457 : [2010] 7 एस.सी.आर. 1;** *सिंगापगु अंजैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* **(2010) 9 एस.सी.सी. 799 : [2010] 7 एस.सी.आर. 703;** *अशोककुमार नागभाई वंकर बनाम गुजरात राज्य* **(2011) 10 एस.सी.सी. 604;** *विजय रामकृष्ण गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2012) 11 एस.सी.सी. 592;** *सोम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य* **(2013) 14 एस.सी.सी. 246 : [2013] 4 एस.सी.आर. 433;** *मध्य प्रदेश राज्य बनाम कालिचरण* **(2019) 6 एस.सी.सी. 809;** *राजस्थान राज्य बनाम लीला राम* **(2019) 13 एस.सी.सी. 131;** *अनन्ता कामिल्या बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **(2020) 2 एस.सी.सी. 511;** *सुखपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(2019)**

15 एस.सी.सी. 622; *राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल* (2019) 5 एस.सी.सी. 639 : [2019] 5 एस.सी.आर. 569 — संदर्भित।

नजीर संदर्भ

(2000) 10 एस.सी.सी. 307	संदर्भित	कंडिका 4.2
[2000] 1 एस.सी.आर. 1155	संदर्भित	कंडिका 4.2
(2000) 1 एस.सी.सी. 319	अवलंबित	कंडिका 4.2 (i)
[2003] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 754	अवलंबित	कंडिका 5.1 (ii)
[2006] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 633	अवलंबित	कंडिका 5.1 (iii)
[2008] 5 एस.सी.आर. 408	अवलंबित	कंडिका 5.1 (iv)
[2010] 7 एस.सी.आर. 1	संदर्भित	कंडिका 5.1 (v)
[2010] 7 एस.सी.आर. 703	अवलंबित	कंडिका 5.1 (vi)
(2011) 10 एस.सी.सी. 604	संदर्भित	कंडिका 5.1 (vii)
(2012) 11 एस.सी.सी. 592	संदर्भित	कंडिका 5.1 (viii)
[2013] 4 एस.सी.आर. 433	संदर्भित	कंडिका 5.1 (ix)
(2019) 6 एस.सी.सी. 809	संदर्भित	कंडिका 5.1 (x)
(2019) 13 एस.सी.सी. 131	संदर्भित	कंडिका 5.1 (xi)
(2020) 2 एस.सी.सी. 511	संदर्भित	कंडिका 5.1 (xii)
(2019) 15 एस.सी.सी. 622	संदर्भित	कंडिका 6

(2000) 1 एस.सी.सी. 319	**संदर्भित**	**कंडिका 7.1.1**
[2003] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 754	**संदर्भित**	**कंडिका 7.1.2**
[2006] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 633	**संदर्भित**	**कंडिका 7.1.3**
[2010] 7 एस.सी.आर. 703	**संदर्भित**	**कंडिका 7.1.4**
[2019] 5 एस.सी.आर. 569	**संदर्भित**	**कंडिका 7.1.5**
(2019) 12 एस.सी.सी. 560	**अवलंबित**	**कंडिका 8.1**

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2020 का दांडिक अपील संख्या 577

मदुरै पीठ, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के दांडिक अपील संख्या 122, में दिनांक 18.01.2017 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से - के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, अधिवक्ता

उतरदाता की ओर से- एम. योगेश कन्ना, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. मदुरै पीठ, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के दांडिक अपील (एम.डी.) संख्या 122, में दिनांक 18.01.2017 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया तथा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, तिरुनेलवेली द्वारा 2012 के सत्र वाद संख्या 354, में पारित दोषसिद्धि एवं

दंडादेश को पुष्टि प्रदान की, जिसके अंतर्गत वर्तमान अपीलकर्ता–मूल अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था, मूल अभियुक्त द्वारा यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2019 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने वर्तमान अपील में केवल इस सीमित प्रश्न पर अधिसूचना जारी किया था कि क्या दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत होनी चाहिए थी अथवा धारा 304 भाग-II के अंतर्गत। अतः इस न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या वर्तमान अपीलकर्ता– मूल अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत विधिवत दोषी ठहराया गया है अथवा उसे किसी अन्य लघु अपराध, अर्थात धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना चाहिए।

4. अपीलकर्ता–मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि चूँकि यह एक ही वार का वाद है, अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना के लिए कथित प्रेरणा घटना से लगभग चार माह पूर्व का बताया गया है और इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने के प्रेरणा को सिद्ध एवं स्थापित करने में असफल रहा है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना अचानक एवं गंभीर उकसावे की स्थिति में घटित हुई थी और अतः यह अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद-I के अंतर्गत आएगा तथा इसलिए अपीलकर्ता को धारा 302 से कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।

4.2 अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय ***कुन्हैयप्पू बनाम केरल राज्य*** *(2000) 10 एस.सी.सी. 307* तथा ***मुसुम्शा हसनाशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य*** *(2000) 3 एस.सी.सी. 557* पर विशेष रूप से अवलंबन किया है, यह प्रतिपादित करने हेतु कि एक ही वार से लगी चोट के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होती।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए तथा इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर अवलंबन करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 से परिवर्तित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के सम्यक मूल्यांकन के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय — दोनों ने ही अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है। यह भी जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने चाकू से वार कर शरीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग — यकृत — पर चोट पहुँचाई। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त के पास चाकू था; अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर थी; तथा किसी भी प्रकार का गंभीर एवं अचानक उकसावा स्थापित एवं सिद्ध नहीं किया गया है, अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना पूर्णतः उचित है।

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय में ऐसा कोई निरपेक्ष विधिक सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है कि केवल एक ही वार के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 लागू नहीं

होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि चोटों की संख्या अप्रासंगिक होती है; यह सदैव अभियुक्त के आशय का निर्धारण करने का निर्णायक कारक नहीं होती। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि चोट की प्रकृति; शरीर का वह भाग जहाँ चोट पहुँचाई गई; तथा चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार — ये सभी ऐसे संकेतक हैं, जिनसे यह निर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय रखा था या नहीं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने एकल चोट के वादों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के लागू होने या न होने के प्रश्न पर इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंबन किया है:

(i) ***महेश बाल्मीकि बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** (2000) 1 एस.सी.सी. 319;

(ii) ***धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य*** (2003) 9 एस.सी.सी. 322;

(iii) ***पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (2006) 11 एस.सी.सी. 444;

(iv) ***बाविसेट्टी कामेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (2008) 15 एस.सी.सी. 725;

(v) ***अरुण राज बनाम भारत संघ*** (2010) 6 एस.सी.सी. 457;

(vi) ***सिंगापगु अंजैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (2010) 9 एस.सी.सी. 799;

(vii) **अशोककुमार नागाभाई वंकर बनाम गुजरात राज्य** (2011) 10 एस.सी.सी. 604;

(viii) ***विजय रामकृष्ण गायकवाड बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (2012) 11 एस.सी.सी. 592;

(ix) ***सोम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य*** (2013) 14 एस.सी.सी. 246;

(x) ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम कालीचरण*** (2019) 6 एस.सी.सी. 809;

(xi) ***राजस्थान राज्य बनाम लीला राम*** (2019) 13 एस.सी.सी. 131;

(xii) ***अनंत कमिल्या बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** (2020) 2 एस.सी.सी. 511।

6.अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से इस तर्क का प्रश्न है कि अभियोजन पक्ष घटना के लिए प्रेरणा को स्थापित एवं सिद्ध करने में असफल रहा है तथा यह कि कथित प्रेरणा घटना से लगभग चार माह पूर्व की है, इस संबंध में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से कहा गया है, जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध हों, वहाँ प्रेरणा का महत्व गौण हो जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान वाद में अभियोजन साक्षी संख्याः 1, 2 एवं 3 घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और इस कारण से इस वाद में प्रेरणा महत्वहीन है। इस संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय ***सुखपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य*** (2019) 15 एस.सी.सी. 622 पर विशेष रूप से अवलंबन किया गया है।

7. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान अपील में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है अथवा कोई अन्य कम गंभीर अपराध, विशेष रूप से धारा 304 भाग–II के अंतर्गत आता है?

7.1 अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह एकल चोट का वाद है, अतः धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होती और वाद धारा 304 भाग–II के अंतर्गत आएगा। उपरोक्त तर्क पर विचार करते समय इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ आवश्यक है, जिनमें यह विचार किया गया है कि क्या एकल चोट के वाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू होती है या नहीं:

7.1.1 ***महेश बाल्मीकि बनाम मध्य प्रदेश राज्य,*** (2000) 1 एस.सी.सी. 319 में, इस न्यायालय ने यह विचार करते हुए कि क्या मृतक के सीने पर चाकू से किया गया एकल प्रहार धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता को आकर्षित करेगा, निम्नलिखित कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 322-23, कंडिका 9)

> "9. ... ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक एकल प्रहार के वाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी। एकल प्रहार कुछ वादों में धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि का कारण बन सकता है, कुछ वादों में धारा 304 के अंतर्गत और कुछ अन्य वादों में धारा 326 के अंतर्गत। अपराध की प्रकृति का निर्धारण प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। चोट की प्रकृति, यह कि वह शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर लगी है या नहीं, प्रयुक्त हथियार, जिन परिस्थितियों में चोट पहुंचाई गई तथा जिस प्रकार से चोट पहुंचाई गई — ये सभी ऐसे प्रासंगिक तत्व हैं जिनसे अपराधी की आवश्यक मंशा या ज्ञान तथा उसके द्वारा किए गए अपराध का निर्धारण किया जा सकता है। वर्तमान वाद में मृतक स्वयं को बचाने में असमर्थ था क्योंकि उसे अपीलकर्ता के साथियों द्वारा पकड़े रखा गया था, जबकि अपीलकर्ता ने यद्यपि एकल, परंतु घातक प्रहार किया। ये तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलकर्ता की मृतक को मारने की मंशा थी। किसी भी स्थिति में, यह सुरक्षित रूप से आरोपित किया जा सकता है कि उसे यह ज्ञान था कि उसके द्वारा किया गया चाकू का प्रहार इतना आसन्न रूप से घातक था कि उससे मृत्यु होना या ऐसी शारीरिक क्षति होना संभावित था जिससे मृत्यु हो सकती थी।"

7.1.2 ***धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य*** (2003) 9 एस.सी.सी. 322 में, इस न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अवयवों पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 327-28, कंडिका 11)

> "11. धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक हुए संघर्ष में किए गए कृत्यों को सम्मिलित करता है। यह अपवाद उन वादों से संबंधित है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आते, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। यह अपवाद भी उसी सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में पूर्वनियोजन का अभाव होता है। किंतु जहाँ अपवाद 1 में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण ह्रास होता है, वहीं अपवाद 4 में केवल वह आवेग होता है जो व्यक्ति की शांत विवेक शक्ति को धूमिल कर देता है और उसे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो वह अन्यथा नहीं करता। अपवाद 4 में उकसाव है जैसे अपवाद 1 में, किंतु की गई चोट उस उकसाव का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होती। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जहाँ, भले ही विवाद की उत्पत्ति में कोई प्रहार किया गया हो या कोई उकसाव दी गई हो, अथवा विवाद किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ हो, दोनों पक्षों का पश्चातवर्ती आचरण उन्हें दोष की दृष्टि से समान स्तर पर ला देता है। 'अचानक संघर्ष' का तात्पर्य दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक उकसाव एवं प्रहार से है। ऐसी स्थिति में किया गया मानव वध एकपक्षीय उकसाव से उत्पन्न नहीं माना जा सकता और न ही समस्त दोष किसी एक पक्ष पर डाला जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त अपवाद 1 होता। यहाँ पूर्व में संघर्ष का कोई विचार या निर्णय नहीं होता। संघर्ष अचानक होता है, जिसके लिए दोनों पक्ष कमोबेश दोषी होते हैं। संभव है कि एक पक्ष ने इसकी शुरुआत की हो, परंतु यदि

दूसरा पक्ष अपने आचरण से उसे उग्र न बनाता, तो वह इतना गंभीर रूप नहीं लेता। ऐसी स्थिति में पारस्परिक उकसाव एवं उग्रता होती है और प्रत्येक पक्ष पर आरोपित दोष के हिस्से का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। अपवाद 4 का लाभ तभी दिया जा सकता है जब मृत्यु (क) बिना पूर्वनियोजन के, (ख) अचानक संघर्ष में, (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ लिए बिना अथवा क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किए बिना, तथा (घ) उसी व्यक्ति के साथ संघर्ष में हुई हो जिसकी मृत्यु हुई। किसी वाद को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी तत्वों का पाया जाना आवश्यक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 300 के अपवाद 4 में प्रयुक्त 'संघर्ष' शब्द को भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। संघर्ष के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आवेग की अवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भावनाओं के शांत होने का समय न मिला हो, और इस वाद में प्रारंभिक मौखिक विवाद के कारण दोनों पक्ष उग्र अवस्था में आ गए थे। संघर्ष दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य, हथियारों के साथ या बिना, होने वाला द्वंद्व होता है। यह निर्धारित करने के लिए कोई सामान्य नियम स्थापित नहीं किया जा सकता कि कौन-सा विवाद अचानक है। यह तथ्य का प्रश्न है और किसी विवाद के अचानक होने या न होने का निर्धारण प्रत्येक वाद के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा। अपवाद 4 को लागू करने के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक विवाद हुआ और कोई पूर्वनियोजन नहीं था। यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लिया और न ही क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किया। इस प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'अन्यायपूर्ण लाभ' है।"

7.1.3 ***पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (2006) 11 एस.सी.सी. 444 में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित करते हुए कि कोई वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 अथवा धारा 304 भाग–I या धारा 304 भाग–II के अंतर्गत आता है या नहीं, निम्नलिखित कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 457-58, कंडिका 29)

> "29. अतः न्यायालय को मंशा के केंद्रीय प्रश्न का निर्णय सावधानी एवं सतर्कता के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होगा कि वाद धारा 302 के अंतर्गत आता है अथवा धारा 304 भाग–I या धारा 304 भाग–II के अंतर्गत। अनेक तुच्छ या नगण्य घटनाएँ—जैसे फल तोड़ना, पशुओं का भटक जाना, बच्चों का झगड़ा, किसी रूखे शब्द का उच्चारण या यहाँ तक कि आपत्तिजनक दृष्टि—भी विवादों एवं समूह संघर्षों को जन्म दे सकती हैं, जो अंततः मृत्यु में परिणत हो सकते हैं। ऐसे वादों में प्रतिशोध, लोभ, ईर्ष्या या संदेह जैसी सामान्य प्रेरणाएँ पूर्णतः अनुपस्थित हो सकती हैं। मंशा का अभाव भी हो सकता है। पूर्वनियोजन भी नहीं हो सकता। वास्तव में, कभी-कभी दांडिकता भी नहीं होती। दूसरी ओर, कुछ ऐसे हत्या के वाद भी हो सकते हैं जहाँ अभियुक्त हत्या के दंड से बचने के लिए यह दिखाने का प्रयास करता है कि उसकी मृत्यु कारित करने की कोई मंशा नहीं थी। यह न्यायालयों का दायित्व है कि धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के वादों को धारा 304 भाग–I/II के अंतर्गत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित न किया जाए, अथवा जो वाद हत्या न माने जाने योग्य दांडिक मानव वध के हों, उन्हें धारा 302 के अंतर्गत हत्या न माना जाए। मृत्यु कारित करने की मंशा सामान्यतः निम्नलिखित कुछ या अनेक परिस्थितियों के संयोजन से ज्ञात की जा सकती है: *(i)* प्रयुक्त हथियार की प्रकृति; *(ii)* क्या

हथियार अभियुक्त अपने साथ लाया था या घटना-स्थल से उठाया गया; *(iii)* क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर किया गया; *(iv)* चोट पहुँचाने में प्रयुक्त बल की मात्रा; *(v)* क्या कृत्य अचानक हुए विवाद, अचानक संघर्ष या मुक्त संघर्ष के दौरान किया गया; *(vi)* क्या घटना आकस्मिक रूप से हुई या कोई पूर्वनियोजन था; *(vii)* क्या पूर्व वैमनस्य था या मृतक अपरिचित था; *(viii)* क्या कोई गंभीर एवं अचानक उकसाव थी, और यदि थी, तो उसका कारण; *(ix)* क्या कृत्य आवेग की अवस्था में किया गया; *(x)* क्या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ लिया या क्रूर अथवा असामान्य ढंग से कार्य किया; *(xi)* क्या अभियुक्त ने एकल प्रहार किया या अनेक प्रहार किए। उपरोक्त परिस्थितियों की सूची संपूर्ण नहीं है और प्रत्येक व्यक्तिगत वाद के संदर्भ में कुछ अन्य विशेष परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, जो मंशा के प्रश्न पर प्रकाश डालें। जो भी हो।"

7.1.4 ***सिंगापागु अंजैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** (2010) 9 एस.सी.सी. 799 में, इस न्यायालय ने यह विचार करते हुए कि मृतक की खोपड़ी पर लोहे की छड़ से किया गया प्रहार क्या धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता को लागू करेगा, निम्नलिखित कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 803, कंडिका 16)

"16. हमारे मत में, चूँकि कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के मन में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मंशा का निर्धारण प्रयुक्त हथियार, आक्रमण के लिए चुना गया शरीर का भाग तथा कारित की गई चोटों की प्रकृति से किया जाना चाहिए। यहाँ अपीलकर्ता ने अपराध के हथियार के रूप में लोहे की छड़ चुनी। उसने आगे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग, अर्थात सिर, को चोट पहुँचाने के लिए चुना, जिससे खोपड़ी में अनेक अस्थि भंग हुए। यह स्पष्ट रूप से उस बल को दर्शाता है, जिसके

साथ अपीलकर्ता ने हथियार का प्रयोग किया। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव अपरिहार्य रूप से इस एकमात्र निष्कर्ष तक ले जाता है कि अपीलकर्ता की मृतक को मारने की मंशा थी।"

7.1.5 ***राजस्थान राज्य बनाम कन्हैया लाल*** (2019) 5 एस.सी.सी. 639 में, इस न्यायालय ने कंडिका 7.3, 7.4 एवं 7.5 में निम्नलिखित कहा:

"**7.3** *अरुण राज* [*अरुण राज बनाम भारत संघ*, (2010) 6 एस.सी.सी. 457: (2010) 3 एस.सी.सी. (दांडिक) 155] में इस न्यायालय ने यह अवलोकन एवं निर्णय दिया कि ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि जब भी एकल प्रहार किया जाए, धारा 302 लागू नहीं होगी। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रयुक्त हथियार की प्रकृति तथा शरीर के जिस महत्वपूर्ण अंग पर प्रहार किया गया, वे मृतक की मृत्यु कारित करने की अभियुक्त की मंशा को संदेह से परे सिद्ध करते हैं। आगे यह भी कहा गया कि एक बार ये तत्व सिद्ध हो जाएँ, तो यह अप्रासंगिक हो जाता है कि प्रहार एक था या अनेक।

7.4 *अशोककुमार मगाभाई वंकर* [*अशोककुमार मगाभाई वंकर बनाम गुजरात राज्य,* (2011) 10 एस.सी.सी. 604: (2012) 1 एस.सी.सी. (दांडिक) 397] में, मृतक की मृत्यु लकड़ी के मूसल से सिर पर किए गए एकल प्रहार से हुई थी। यह पाया गया कि अभियुक्त ने मूसल का प्रयोग इतनी शक्ति से किया कि मृतक का सिर टुकड़ों में टूट गया। इस न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या वाद धारा 302 के अंतर्गत आएगा या धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृतक को लगी चोट न केवल अभियुक्त की मृतक की मृत्यु कारित करने की मंशा को प्रदर्शित करती है, बल्कि इस संबंध में अभियुक्त के ज्ञान को भी दर्शाती है। आगे यह भी कहा गया कि ऐसा आक्रमण मृतक की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त और किसी प्रेरणा के लिए नहीं हो सकता। यह अवलोकन किया गया कि कोई भी सामान्य

व्यक्ति, कल्पना के किसी भी स्तर पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि शरीर के ऐसे महत्वपूर्ण अंग पर, ऐसे हथियार से, इस प्रकार की चोट मृत्यु का कारण बनेगी।

7.5 इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा हालिया निर्णय *लीला राम* (*उपरोक्त*) में अपनाया गया है और इस विषय पर इस न्यायालय के अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात —अर्थात एकल प्रहार के वाद में यह प्रश्न कि वाद धारा 302 के अंतर्गत आएगा या धारा 304 भाग–I अथवा धारा 304 भाग–II के अंतर्गत—इस न्यायालय ने निर्णय को पलटते हुए अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। उसी निर्णय में इस न्यायालय ने धारा 300 के अपवाद 4 पर भी विचार किया और कंडिका 21 में निम्नलिखित अवलोकन किया: (एस.सी.सी. कंडिका 21)

> "21. अपवाद 4 के अंतर्गत, यदि उस उपबंध में निहित शर्तें पूरी होती हैं, तो दांडिक मानव वध हत्या नहीं होता। वे शर्तें इस प्रकार हैं: *(i)* कृत्य बिना पूर्वनियोजन के किया गया हो; *(ii)* अचानक संघर्ष हुआ हो; *(iii)* अचानक हुए झगड़े के कारण आवेग की अवस्था में कृत्य किया गया हो; तथा *(iv)* अपराधी ने अनुचित लाभ न लिया हो और न ही क्रूर अथवा असामान्य ढंग से कार्य किया हो।"

7.1.6 ***बविसेट्टी कामेश्वर राव*** (उपरोक्त) के वाद में, इस न्यायालय ने कंडिका 13 एवं 14 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

> **"13.** यह देखा गया है कि जहाँ हत्या के वाद में केवल एक ही चोट होती है, वहाँ प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अपराध अनिवार्य रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–II के अंतर्गत आएगा। केवल एक चोट होने के आधार पर, यांत्रिक ढंग

से, अपराध की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति निश्चित रूप से उन अन्य सहवर्ती परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, जो न्यायालय को अभियुक्त की मंशा के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता करती हैं। ऐसी सहवर्ती परिस्थितियाँ अनेक हो सकती हैं, जैसे—*(i)* क्या कृत्य पूर्वनियोजित था;*(ii)* प्रयुक्त हथियार की प्रकृति;*(iii)* अभियुक्त द्वारा किया गया आक्रमण किस प्रकार का था। यह सूची संपूर्ण नहीं है और प्रत्येक वाद का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। पेचकस के प्रयोग के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उसका प्रयोग क्षणिक आवेग में आकस्मिक रूप से हुआ और इसलिए न तो मृत्यु कारित करने की मंशा थी और न ही ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने की, जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। केवल इस कारण से कि पेचकस अभियुक्त के व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाला सामान्य उपकरण था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रयोग निरापद था।

14. *कर्नाटक राज्य बनाम वेदनायगम* [(1995) 1 एस.सी.सी. 326 : 1995 एस.सी.सी. (दांडिक) 231] में इस न्यायालय ने इस सामान्य तर्क पर विचार किया कि केवल एक चोट होना धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। उस वाद में चोट चाकू से कारित की गई थी। चिकित्सकीय साक्ष्य ने अभियोजन के कथन का समर्थन किया कि वह चोट सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। उच्च न्यायालय ने केवल एक चोट होने के आधार पर अभियुक्त को धारा 304 भाग–II भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था। तथापि, चोट की प्रकृति, अभियुक्त द्वारा चुने गए शरीर के भाग तथा अन्य सहवर्ती परिस्थितियों पर विस्तृत विचार करने के बाद, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300

के तृतीय खंड पर चर्चा करने और आगे *वीरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य* [ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465] के निर्णय पर अवलंबन करते हुए, इस न्यायालय ने धारा 302 के अंतर्गत बरी किए जाने को निरस्त कर अभियुक्त को उसी धारा के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने (*वेदनायगम वाद* [(1995) 1 एस.सी.सी. 326 : 1995 एस.सी.सी. (दांडिक) 231], एस.सी.सी. पृष्ठ 330, कंडिका 4) में न्यायमूर्ति बोस द्वारा *वीरसा सिंह वाद* [ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465] में किए गए अवलोकन पर अवलंबन किया, जिसमें कहा गया था: (*वीरसा सिंह वाद* [ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465], ए.आई.आर. पृष्ठ 468, कंडिका 16)

> "16. ... विद्वान न्यायाधीश के प्रति पूर्ण सम्मान सहित, उन्होंने अपेक्षित मंशा को चोट की गंभीरता से जोड़ दिया है, जबकि, जैसा कि हमने दर्शाया है, धारा की अपेक्षा यह नहीं है। ये दोनों विषय पूर्णतः पृथक और भिन्न हैं, यद्यपि इनके संबंध में साक्ष्य कभी-कभी एक-दूसरे से आच्छादित हो सकते हैं।"

उपरोक्त वाद में आगे के अवलोकन इस प्रकार थे: (*वीरसा सिंह वाद* [ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465], ए.आई.आर. पृष्ठ 468, कंडिका 16 एवं 17)

> "16. ... प्रश्न यह नहीं है कि अभियुक्त ने गंभीर चोट पहुँचाने का इरादा किया था या साधारण चोट का, बल्कि यह है कि क्या उसने वही चोट पहुँचाने का इरादा किया था, जो सिद्ध रूप से विद्यमान पाई गई है। यदि वह यह दिखा सके कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, अथवा परिस्थितियों की समग्रता से ऐसा निष्कर्ष निकलता है, तो निस्संदेह वह मंशा सिद्ध नहीं होती, जिसकी धारा अपेक्षा

करती है। किंतु यदि चोट के अतिरिक्त और यह तथ्य कि अभियुक्त ने ही उसे पहुँचाया, कुछ भी नहीं है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यही है कि उसने वही चोट पहुँचाने का इरादा किया था। उसे उसकी गंभीरता का ज्ञान था या उसने गंभीर परिणामों का इरादा किया था—*यह प्रश्न अप्रासंगिक है। मंशा के संदर्भ में प्रश्न यह नहीं है कि उसने हत्या करने का इरादा किया था या किसी विशेष स्तर की गंभीर चोट पहुँचाने का, बल्कि यह है कि क्या उसने उस चोट को पहुँचाने का इरादा किया था, जो तथ्यतः सिद्ध हुई है; और एक बार चोट का अस्तित्व सिद्ध हो जाए, तो उसे पहुँचाने की मंशा अनुमानित की जाएगी, जब तक कि साक्ष्य या परिस्थितियाँ इसके विपरीत निष्कर्ष को उचित न ठहराएँ।* किंतु मंशा का होना या न होना तथ्य का प्रश्न है, न कि विधि का। चोट गंभीर है या नहीं, और यदि गंभीर है तो कितनी—यह एक पूर्णतः पृथक और भिन्न प्रश्न है, जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि अभियुक्त ने उक्त चोट पहुँचाने का इरादा किया था या नहीं।

17. **...** यह सत्य है कि किसी दिए गए वाद में जाँच चोट की गंभीरता से जुड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह सिद्ध किया जा सके, या परिस्थितियों की समग्रता से यह निष्कर्ष निकले, कि अभियुक्त केवल एक सतही खरोंच पहुँचाने का इरादा रखता था और संयोगवश उसका शिकार उस तलवार या भाले पर गिर पड़ा, जिसका प्रयोग किया गया था, तो निस्संदेह अपराध हत्या नहीं होगा। परंतु यह इसलिए नहीं कि अभियुक्त उस चोट को उतनी गंभीर बनाने का इरादा नहीं रखता था, जितनी वह अंततः हुई, बल्कि इसलिए कि उसका उस विशेष चोट को

पहुँचाने का इरादा ही नहीं था। ऐसे वाद में उसकी मंशा पूर्णतः भिन्न प्रकार की चोट पहुँचाने की होती है। अंतर विधि का नहीं, बल्कि तथ्य का होता है; ..."

(जोर दिया गया)

7.2 उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई कठोर एवं अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि केवल एक ही चोट के वाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 लागू नहीं होगी। यह प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोट की प्रकृति, शरीर का वह भाग जहाँ चोट पहुँचाई गई, तथा चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार—ये सभी इस बात के सूचक हैं कि अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु मृत्यु-कारित करने की मंशा से की थी या नहीं। यह सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जब भी मृत्यु केवल एक ही वार के कारण होती है, तब धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता स्वतः ही अपवादित हो जाएगी। प्रत्येक वाद में तथ्यों की स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से, ऊपर वर्णित परिस्थितियों में, घटना से पूर्व घटित घटनाएँ भी इस प्रश्न पर प्रभाव डालेंगी कि क्या जिस कृत्य से मृत्यु हुई, वह मृत्यु कारित करने की मंशा से किया गया था या केवल इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु होने की संभावना है, किंतु मृत्यु कारित करने की मंशा के बिना। अपराध की प्रकृति का निर्धारण परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर किया जाएगा।

8. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से यह तर्क दी गई है कि कथित प्रेरणा वर्तमान घटना से चार माह पूर्व की किसी घटना से संबंधित है और अभियोजन उसे सिद्ध करने में विफल रहा है, इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान वाद में तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिन पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने विश्वास किया है और हमें भी साक्षी क्रमांक 1, 2 एवं 3 की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में यह कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत "प्रेरणा" कोई अनिवार्य तत्व नहीं है, यद्यपि परिस्थितिजन्य

साक्ष्य के वादों में प्रेरणा अभियोजन के लिए सहायक हो सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध हैं और अभियोजन ने उन्हीं के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध अपना वाद सिद्ध किया है। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से यह माना गया कि यह मान भी लिया जाए कि कथित प्रेरणा चार माह पूर्व की घटना से संबंधित था या अभियोजन उसे संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा, तब भी वह अभियोजन के वाद के लिए घातक नहीं होगा।

8.1 जैसा कि इस न्यायालय ने ***जाफेल बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** (2019) 12 एस.सी.सी. 560 के वाद में कहा है, प्रेरणा का अभाव अभियोजन के वाद को निष्प्रभावी नहीं करता, यदि अभियोजन अन्यथा अपना वाद सिद्ध करने में सफल हो जाए। प्रेरणा सदैव घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के मन में होता है। प्रेरणा का स्पष्ट न होना या उसका सिद्ध न हो पाना केवल इतना अपेक्षित करता है कि न्यायालय साक्ष्यों की गहन समीक्षा करे। जब घटना के संबंध में ठोस साक्ष्य उपलब्ध हों और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अभियुक्त की भूमिका को सिद्ध करते हों, तब प्रेरणा सिद्ध न कर पाने से अभियोजन का वाद प्रभावित नहीं होता।

9. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि को, विशेष रूप से एकल चोट से संबंधित निर्णयों तथा वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा या किसी अन्य लघु अपराध के अंतर्गत। अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 – नेल्सन, जो घटना के प्रारंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी है, ने बयान दिया कि जब मृतक – कालीदास ने बाहर से आए दो व्यक्तियों को अतिरिक्त बीयर परोसी, तो अभियुक्त क्रोधित हो गया और उसने मृतक से कहा कि वह बाहरी लोगों को अधिक बीयर क्यों दे रहा है और स्थानीय लोगों को क्यों नहीं दे रहा है। इसके पश्चात विवाद प्रारंभ हुआ और उसी झड़प के

दौरान अभियुक्त ने चाकू निकालकर पीछे से वार किया। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, मृतक को निम्नलिखित चोटें आईं:

"बाह्य चोटें:

लगभग 3 x 1.5 सेंटीमीटर की एक छुरे की चोट, जिसकी गहराई लगभग 8 सेंटीमीटर थी, साफ किनारों के साथ, पीठ के दाहिने भाग में डी 11 कशेरुका के समकक्ष स्थित थी। घाव के किनारे सूजे हुए थे तथा रक्त जमा हुआ था।"

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV के अनुसार, यदि दांडिक मानव वध बिना पूर्वनियोजन के, अचानक हुए झगड़े में, आवेग की अवस्था में किया गया हो तथा अपराधी ने न तो अनुचित लाभ उठाया हो और न ही क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किया हो, तो वह हत्या नहीं माना जाएगा। वर्तमान वाद में घटना स्थल पर बीयर परोसी जा रही थी; बीयर पार्टी में शामिल सभी व्यक्ति मित्र थे; तथा घटना का प्रारंभ, जैसा कि ऊपर अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 द्वारा वर्णित किया गया है। अतः, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दांडिक मानव वध को धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता की परिभाषा के अंतर्गत हत्या नहीं कहा जा सकता। इसलिए, वाद की परिस्थितियों और बीयर पार्टी में घटना के आरंभ के तरीके को देखते हुए, हमारी राय में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होगी।

11. अब, इस न्यायालय के विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या यह वाद धारा 304 भाग–II भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आएगा। वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि अभियुक्त ने चाकू जैसे हथियार से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर चोट पहुँचाई, यह अनुमान लगाया जाना स्वाभाविक है कि ऐसी

शारीरिक चोट मृत्यु कारित करने की संभावना रखती थी। अतः, यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–I के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 304 भाग–II के अंतर्गत।

12. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराने वाले निर्णय एवं आदेश को संशोधित करते हुए, उसे धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग–I भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है। अभियुक्त को धारा 304 भाग–I के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तथा उसे 8 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000/- का जुर्माना, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास दिया जाता है। अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

अंकित ज्ञान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।